

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं: 0141-2228066, 2228064 फैक्स नं 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmssc.health.rajasthan.gov.in
सीआईएन : U24232RJ2011SGC035067 ई-मेल : edprocurement@gmail.com एवं rmssc@nic.in

क्रमांक : F.02(261)/RMSC/Procurement/Drug/NIB 03/ 2019/ 618

Date:- 26.04.2019


कार्यालय आदेश

भैषज एवं औषधियों की आपूर्ति एवं दर सविदा के लिये जारी की गई निविदा सूचना क्रमांक F.02(261)/RMSCL/PROCUREMENT/DRUG/NIB-03/2019/40 Dated: 15.01.2019 के अन्तर्गत M/s VivekPharmachem (India) Ltd, A-1, Sethi Colony, Jaipur - 302004. द्वारा प्रस्तुत बिड में अन्य आइटमों के साथ आईटम कोड 104 (Clotrimazole Cream IP 2% w/w) के लिये भी बिड प्रस्तुत की गई थी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 15.02.2019 को खोली गयी।

फर्म को इस आईटम के लिये कय समिति की बैठक दिनांक 02.04.2019 के अनुमोदन उपरांत दिनांक 10.04.2019 को Letter of Acceptance (LOA) जारी किया गया। फर्म ने अपने पत्र दिनांक 13.04.2019 द्वारा अवगत करवाया की औषधि Clotrimazole Cream IP 2% w/w की दर गलत कोट हो गयी है, अतः इस कारण हम इस आइटम के लिए के लिये एग्रीमेंट प्रस्तुत करने में असमर्थ है।

आइटम कोड 104 (Clotrimazole Cream IP 2% w/w) के लिए एग्रीमेंट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण फर्म के विरुद्ध निविदा शर्तों के डिबार्डिंग पालिसी के बिन्दु संख्या 2.1 The successful Bidder fails to execute the agreement after being declared as L-1, L-2 or L-3 etc. to perform the obligations under the Bid conditions, Bid Security Deposit of such Bidder firm shall be forfeited.

If an LoA for more than one products is issued to a successful bidder and he/she/it fails to execute agreement for few items, in such case, a penalty of Rs. 2.00 lac and in case of MSMU of the State of Rajasthan Rs. 50,000 shall be imposed on successful bidder and the product for which agreement is not executed shall be debarred for a period of not less than 3 years. के तहत फर्म M/s VivekPharmachem (India) Ltd, A-1, Sethi Colony, Jaipur - 302004. को औषधि Clotrimazole Cream IP 2% w/w (आईटम कोड-104) के लिये आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग (participate) लेने हेतु यह आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट/डिबार्ड किया जाता है एवं शास्ति राशि रु 2,00,000 /-- (अक्षरे राशि रु. दो लाख मात्र) एतद् द्वारा अधिरोपित की जाती है।



प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससीएल

क्रमांक : F.02(261)/RMSC/Procurement/Drug/NIB 03/ 2019/ 618

Date:- 26.04.2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल।
5. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर, राजस्थान।
6. औषधि नियंत्रक, प्रथम एवं द्वितीय, जयपुर, राजस्थान।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल को भेजकर लेख है कि मैसर्स Vivek Pharmachem (India) Ltd, A-1, Sethi Colony, Jaipur - 302004 द्वारा जमा कराई गई बिड सिक्योरिटी राशि रू. 3.80 लाख (D.D. no. 259628 dated 12.02.2019) का डी. डी अनौ. टीप. क्रमांक 249 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा वित्त अनुभाग को भिजवाया गया था, जिसमें से राशि रू 2 लाख की पैनल्टी की वसूली करावें।
8. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल, जयपुर, राजस्थान।
9. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल, जयपुर, राजस्थान।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Vivek Pharmachem (India) Ltd, A-1, Sethi Colony, Jaipur -- 302004.
11. ए.जी.एम. (आई.टी.), को भेजकर लेख है कि यह आदेश आरएमएससीएल की वेब साइट पर अपलोड करावें।
12. रक्षित पत्रावली।



कार्यकारी निदेशक (पी)
आरएमएससीएल